

Regarding providing water to Jalore and Sirohi districts of Rajasthan for drinking and irrigation purposes- laid

श्री लुम्बाराम चौधरी (जालौर) : मैं डार्क जोन जिला जालौर और सिरोही को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के विषय को सरकार के समक्ष रखना चाहता हूँ। खोसला कमेटी की रिपोर्ट 1 सितम्बर 1965 के अनुसार गुजरात राजस्थान के बीच बोर्डर पर कडाणा बांध प्रस्तावित था। दिनांक 01 अक्टूबर 1966 को राजस्थान एवं गुजरात सरकार के बीच माही जल बंटवारा समझौता में कडाणा बांध का निर्माण हुआ। समझौते के अनुसार गुजरात के खेडा जिले को कडाणा बांध से पानी तब तक मिलेगा जबतक नर्मदा का पानी नहीं आता है चूँकि अब नर्मदा का पानी गुजरात के खेडा जिले को मिल रहा है तो स्वतः ही समझौते के अनुसार कडाना और माही बांध के पानी का 2/3 भाग राजस्थान के सिरोही जालौर तय हो चुका था। जो समझौता के अनुसार सिरोही जालौर को पानी मिलना था। कडाना बांध का ओवर फ्लो हो कर सुजलाम नहर के द्वारा पानी समुद्र में जा रहा है वापकॉस कम्पनी गुडगाव द्वारा सर्वे कर जिसमें बताया गया कि 37 साल में 27 बार ओवरफ्लो होकर 1.30 लाख एमसीएम पानी समुद्र में बहकर बर्बाद हो गया है। सुजलाम सुफलाम नहर को सुदृढीकरण कर नर्मदा कैनाल में जोड़ा जाए जिससे की जालौर सिरोही को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए।